<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगल पीठ .: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश और</u>

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>

<u>दांडिक अपील संख्या 128/1994</u>

सन्नी@सत्यनारायण

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

विचारार्थ

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता</u>

<u>मैं सहमत हू !</u>

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनाक : 2 /O2 /2011 को सूचिबुद्ध करे !

हस्ताक्षर/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ .: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 28/1994

अपीलकर्ता सन्नी उर्फ सत्यनारायण पिता स्व सुखराम भगत, जाति उराँव, उम्र 21 वर्ष, निवासी राणपुर, थाना जशपुर नगर, जिला रायगढ़, म.प्र. (अब जिला जशपुर, छ.ग.)

बनाम

उत्तरदाता मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा थाना जशपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत अपील

उपस्थिति:

अपीलकर्ता की ओर से श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री जमील अख्तर लोहानी, पैनल अधिवक्ता ।

<u>निर्णय</u>

<u>(2.02.2011)</u>

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश.** द्वारा उद्घोषित किया गया:

(1) यह अपील 13 अगस्त, 1993 को सत्र प्रकरण क्रमांक 110/92 में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश , जशपुर नगर द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय द्वारा , अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:-

मृतक जयबीर और अपीलकर्ता दोस्त थे। वे रानपुर गांव के रहने वाले थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनाक 9.3.92 को, वे फुरनानगर गांव में थुइन्याराम (अ.स -7) के घर मिलने आए थे। थुइन्याराम (अ.स -7) गाँव के रिश्तों में उनका जीजा था। थुइन्याराम (अ.स -7) और उसकी पत्नी पति बाई (अ.स -10) अपीलकर्ता को नानकूराम (अ.स -2) के घर ले गए। मृतक थुइन्याराम के घर में ही रहा। थुइन्याराम, उसकी पत्नी और अपीलकर्ता ने नानकुराम (अ.स-2) के घर में शराब पी। इसके बाद अपीलकर्ता अकेला नानकुराम के घर से यह कहकर निकला कि वह पेशाब करने जा रहा है। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया, तो थुइन्याराम और उसकी पत्नी अपने घर लौट आए और देखा कि मृतक उनके घर में मरा पड़ा था। उसके शरीर पर

कई चोटें थीं। थुइन्याराम (अ.स -7) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी./12) दर्ज कराई। उस प्रतिवेदन में, उसने अपीलकर्ता पर शक ज़ाहिर किया। अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे, पंचों को सूचना दिया और मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श -पी /6) तैयार किया। मृतक के शव को शवपरीक्षा के लिए सिविल अस्पताल , जशपुर नगर भेजा गया, जहाँ डॉ. एस.के. श्रीवास्तव (अ.स-12) ने शवपरीक्षा किया । उन्होंने मृतक के शरीर पर कई कटे हुए घाव पाए और कहा कि मृतक की मौत कटे हुए घावों के कारण रक्त बहने और सदमा लगने से हुई मृत्यु मनाव वध प्रकृति की थी। शव परीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श पी /16 है। अन्वेषण के दोरान में, अपीलकर्ता को दिनाक 10.3.92 को हिरासत में लिया गया और धारा 27 के तहत उसका प्रकरीकरण कथन (प्रदर्श . पी /7) अभिलिखित किया गया और अपीलार्थी के बताए अनुसार जब्ती ज्ञापन प्रदर्श .पी /8 के तहत एक टगिया ज़ब्त किया गया। अपीलकर्ता के कपड़े भी जब्ती ज्ञापन प्रदर्श .-P/9 के तहत ज़ब्त किए गए। ज़ब्त की गई वस्तुओ को रासायनिक परिक्षण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ। एस। एल सागर) भेजा गया। जहां से एक प्रतिवेदन (प्रदर्श .पी /18) प्राप्त हुआ ।विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन के अनुसार, अपीलकर्ता के टंगिया और कपड़ों पर रक्त के धब्बे पाए गए थे। हालांकि, अभियोजन ने रक्त के उत्पति और समूह वगैरह से जुड़ी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3)स्वीकृत रूप से ,घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। माननीय सत्र न्यायधीश ने मुख्य रूप से दो परिस्थितियों पर अवलंभ किया। पहला, अपीलकर्ता नानकुराम,(अ.स -2) के घर से भाग गया था और जब तक उसे उसका प्रक्रीकरण कथन दर्ज करने के लिए हिरासत में

नहीं लिया गया, तब तक उसका पता नहीं चल पाया; और दूसरा, रक्त से सना हुआ टांगिया अपीलकर्ता की निशानदेही पर जब्त किया गया था।

(4) अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी ने तर्क किया कि अगर ऊपर बताई गई परिस्थितियाँ सच भी साबित हो जाती हैं, तो भी वे अपीलकर्ता के खिलाफ सिर्फ़ गहरा संदेह पैदा कर सकती हैं, लेकिन संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या करने के "हेतुक" को प्रमाणित नहीं किया है यहाँ तक हेतुक का प्रस्ताव भी नहीं दिया है , जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में महत्वपूर्ण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत , राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जमील अख्तर लोहानी ने इन दलीलों का विरोध किया और सत्र न्यायलय द्वारा दिए गए फेसले का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की तर्कों विस्तार से सुनी हैं और सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी अवलोकन किया !

(7) परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।उन्हें सिर्फ़

अभियुक्त के गुनाह की ओर इशारा करना चाहिए। हालात ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके सबंध में स्पस्टिकरण दिया जा सके और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता पर विश्वास करने का कोई उचित आधार न बचे। उच्चतम न्यायलय ने कई मामलों में यही कहा है। इसलिए, हमें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिन परिस्थिति पर अभियोजन भरोसा करता है, उनके आधार पर यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अपीलकर्ता पर लगाया गया आरोप बिना किसी संदेह केप्रमाणित हो चुका है।

(8) पहली परिस्थिति अपीलकर्ता के आचरण से संबंधित है। थुइन्याराम (अ.स -7) और पति बाई (अ.स -10) के बयान से यह सामने आया है कि अपीलकर्ता उनके साथ नानकूराम (अ.स -2) के घर गया था, जहाँ उन्होंने शराब पी और उसके बाद अपीलकर्ता यह कहकर नानकूराम (अ.स -2) के घर से चला गया कि वह पेशाब करने जा रहा है और वह वापस नहीं लौटा। थिम्मा -बनाम- मैसूर राज्य, एआईआर 1971 एससी 1871 में,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्चतम न्यायलय ने अभिनिर्धारित किया है कि, हालांकि अपराध होने के तुरंत बाद

अभियुक्त का भाग जाना एक सुसंगत साक्ष्य है, जो कुछ हद तक उसके दोषी मन को

दर्शाता है, लेकिन यह उस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य नहीं है क्योंकि निर्दोष व्यक्ति भी संदेह होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा व्यवहार कर सकता है।इसके अलावा, रशबीर सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; AIR 1971 SC 2156 में, उच्चतम न्यायलय ने अभिनिर्धारित किया की भागने का काम, भले हीप्रमाणित हो जाए, आमतौर पर किसी

आरोपी व्यक्ति के अपराध को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली परिस्थितियों की कड़ी में एक कुछ हद तक कमजोर कड़ी माना जाता है। इस मामले में, हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो यह भी बताए कि अपीलकर्ता नानकुराम (अ.स -2) के घर से थुइन्याराम (अ.स -7) के घर लौटा था। अभियोजन पक्ष ने बेलो @ बेलवती (अ.स -8) नाम की एक गवाह का परिक्षण कराया , जिसने बस इतना बताया कि उसने घटना वाली जगह से एक व्यक्ति को थेला के साथ जाते हुए देखा था।यह अभी तक पता नहीं चला है कि उसने उस व्यक्ति को किस समय देखा था। क्या उस समय तक घटना हो चुकी थी या घटना बिल्कुल भी नहीं हुई थी। इसके अलावा; उसने यह पहचान नहीं की कि असल में वह वही अपीलकर्ता था जिसे उसने बैग के साथ जाते हुए देखा था। अपीलकर्ता के नानकूराम (अ.स -2) या थुइन्याराम (अ.स -7) के घर से जाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अपीलकर्ता के उपरोक्त आचरण के आधार पर, यह नहीं माना जा सकता कि उसने मृतक का हत्या किया और उसके बाद वह घटना स्थल से भाग गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) जहां तक रक्त से सनी टांगिया को ज़ब्त करने की बात है, वह खुद अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अपराध प्रमाणित करने वाला साक्ष्य नहीं होगा। टांगिया उस कमरे से ज़ब्त की गई थी जहां लाश पड़ी थी। ऐसा नहीं लगता कि वह छिपा कर राखी गई थी। साक्ष्ययो का विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि वह सभी को साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि टांगिया को अपीलकर्ता की निशानदेही पर जब्त किया गया

था। वैसे भी, जब टांगिया या कपड़ों पर पाए गए रक्त की उत्पति और समूह साबित नहीं हुआ, ऐसे में वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता के खिलाफ शायद ही कोई दोषी ठहराने वाली परिस्थिति होंगे।

(10) हम देखते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या करने का कोई 'हेतुक ' पेश ही नहीं किया है। विधि का स्थापित सिद्धांत यह है कि जब अपराध करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य , तो हेतुक का प्रसन न्यायलय के दिमाग में बड़ा प्रसन नहीं बनता। हालांकि ऐसे मामलों में जो पूरी तरह या मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, हेतुक ज़्यादा सुसंगत या महत्वपूर्ण हो सकता है। (कृपया देखें - प्रेम कुमार और अन्य -बनाम- बिहार राज्य, (1995) 3 एससीसी 228और बाबू लोधी और अन्य -बनाम- उत्तर प्रदेश राज्य, (1987) 2 एससी 352) वर्तमान मामले में, कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे और अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। इसलिए,हेतुक का महत्व होगा। अभियोजन पक्ष ने कोई हेतुक भी नहीं बताया, जो मामले के मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के लिए घातक था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) ऊपर बताए गए कारणों से, हम अपीलकर्ता के दंड को कायम की नहीं रख सकते। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के परिस्थिति अपराध को सभी उचित संदेहों से परे प्रमाणित करने में पूरी तरह विफल रहा है। विद्वान सत्र न्यायधीश ने ऊपर बताई गई परिस्थितियों साक्ष्ययो की आखला के आधार पर अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302

के तहत दोषसीधी करने में त्रुटि कारित की है। जो उसे उक्त अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

(12) इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत की गई दोषसिद्धि ऊपर अधिरोपित दंडादेश को आपस्त करते हैं। अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता को दिनाक 10.3.92 को अभिरक्षा में लिया गया था और दिनाक 24.1.2003 को उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। वर्तमान में वह ज़मानत पर है। उसके बंध पत्र निरसत किए जाते हैं और प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/- **हस्ताक्षर/-**

मुख्य न्यायाधीश **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्ष कारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी। अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 के संबंध में पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार अवैधानिकता की गई है।

Translated By .....नितिन साहू .....